

न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)
(समक्ष-डी.एस.मण्डलोई)

उत्तराधिकार प्रकरण क्र.-13/14

संस्थित दिनांक-09/4/2012

1. मुकेश बोहत उम्र 35 वर्ष पिता स्व. मुलचंद बोहत
जाति वाल्मिकी निवासी मलाजखंड तहसील बैहर जिला बालाघाट
2. श्रीमती मीना उम्र 33 वर्ष पति अरुण कुमार जाति वाल्मिकी
निवासी जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर
3. राकेश बोहत उम्र 31 वर्ष पिता स्व. मुलचंद बोहत
जाति वाल्मिकी निवासी मलाजखंड तहसील बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)...आवेदकगण

वि रू द्ध

1. शाखा प्रबंधक, डाकघर शाखा मलाजखण्ड,
2. सर्वसाधारण..... अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर श्री अ. शाहीद खान अधिवक्ता।

अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय।

—:: आ दे श ::—

(आज दिनांक-10/11/2014 को पारित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

(02) आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता मुलचंद बोहत पिता गरीबदास, हिंदूस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना मलाजखंड में स्वीपर के पद पर कार्यरत रहते हुए मूलचंद बोहत की मृत्यु बीमारी के दौरान दिनांक 12.10.2010 को हो गई तथा आवेदकगण की मां श्रीमती फगनीबाई की मृत्यु उनके पिता मूलचंद बोहत के पूर्व दिनांक 29.5.2009 को हो गई। आवेदकगण के पिता स्व. मुलचंद बोहत तथा माता स्व. फगनीबाई बोहत की मृत्यु पश्चात उनके वारसान आवेदकगण मुकेश बोहत, मीना, राकेश बोहत है। इनके अलावा मृतक स्व. मुलचंद बोहत के कोई अन्य

कोई वारसान नहीं है। आवेदकगण के पिता स्व. मूलचंद बोहत पिता गरीबदास के नाम पर डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक-7001148 में 2,00,000/- (दो लाख रुपए) एवं खाता क्रमांक-7001149 में 2,00,000/- (दो लाख रुपए), इस तरह दोनों खातों में कुल 4,00,000/- (चार लाख रुपए) की राशि जमा है, जिसे आवेदकगण अपने स्व. मूलचंद बोहत की मृत्यु पश्चात मय ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके लिए संबंधित पोस्ट आफिस द्वारा आवेदकगण से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा गया है। अतः आवेदकगण को स्व. मूलचंद बोहत के नाम पर डाक घर मलाजखंड में जमा राशि प्रदाय किये जाने का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदकगण को प्रदान किया जावे।

(03) अनावेदक सर्वसाधारण पर विज्ञापित का प्रकाशन होने के उपरान्त दिनांक-17.7.2014 को अनावेदक सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने तथा दिनांक-08.9.2014 को अनावेदक शाखा प्रबंधक, डाकघर शाखा मलाजखंड की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अनावेदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(04) विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या आवेदकगण स्व. मूलचंद बोहत के नाम पर डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक-7001148 में 2,00,000/- (दो लाख रुपए) एवं खाता क्रमांक-7001149 में 2,00,000/- (दो लाख रुपए), कुल 4,00,000/- (चार लाख रुपए) की राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है ?

:- सकारण निष्कर्ष :-

(05) आवेदक साक्षी मुकेश बोहत (आ.सा. 2) के अभिवचन है कि उसके पिता मूलचंद बोहत हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना में स्वीपर के पद पर कार्यरत रहते उनके पिता मूलचंद की मृत्यु बीमारी के दौरान दिनांक 12.10.2010 में हो गई तथा उसकी मां फगनीबाई की मृत्यु दिनांक 29.5.2009 को हो गई। उसके पिता मूलचंद बोहत तथा माता फगनीबाई की तीन संतान आवेदकगण राकेश बोहत, मीना एवं वह स्वयं हैं। उसके पिता स्व. मूलचंद बोहत पिता गरीबदास बोहत के नाम पर डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक-7001148 में 2,00,000/- (दो लाख रुपए) एवं खाता क्रमांक-7001149 में 2,00,000/- (दो लाख रुपए), इस तरह दोनों खातों में कुल 4,00,000/- (चार लाख रुपए) की राशि जमा है। जिसे वे अपने पिता स्व. मूलचंद बोहत की मृत्यु पश्चात मय ब्याज के प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

स्व. मुलचंद बोहत के नाम पर डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक-7001148 की पासबुक प्रदर्श पी-1 एवं खाता क्रमांक- 7001149 की पासबुक प्रदर्श पी-2, स्व. फगनीबाई पति मुलचंद बोहत का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-3, स्व. मुलचंद बोहत का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-4, स्व. मुलचंद बोहत का राशन कार्ड प्रदर्श पी-5, न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट का वारसान प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-6, स्व. मुलचंद का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श पी-7, स्व. फगनीबाई का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श पी-8, राकेश का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श पी-9, मेरे स्वयं का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श पी-10 है।

(06) मुकेश बोहत (आ.सा. 2) के अभिवचन का समर्थन करते हुए मीना (आ.सा. 1) के भी अभिवचन है कि उनके पिता मुलचंद हिंदूस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना में स्वीपर के पद पर कार्यरत रहते हुए उनके पिता की मृत्यु बीमारी के दौरान 12.10.2010 को तथा उसकी मां फगनीबाई की मृत्यु 29.5.2009 को हो गई, जिनकी वे कुल तीन संतानें मुकेश, राकेश एवं वह स्वयं है। उसके पिता स्व. मुलचंद के नाम पर डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक-7001148 में दो लाख रुपए एवं खाता क्रमांक-7001149 में दो लाख रुपए, इस तरह दोनों खातों में कुल 4,00,000/- (चार लाख रुपए) की राशि जमा है। जिसे वे अपने पिता स्व. मुलचंद बोहत की मृत्यु पश्चात मय ब्याज के प्राप्त करना चाहते हैं।

(07) इसी प्रकार राकेश बोहत (आ.सा. 3) के भी अभिवचन है कि उसके पिता मुलचंद हिंदूस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना में स्वीपर के पद पर थे, जिनकी मृत्यु बीमारी के दौरान 12.10.2010 को तथा उसकी मां फगनीबाई की मृत्यु 29.5.2009 को हो चुकी है, जिनकी संतानें मुकेश, राकेश एवं वह स्वयं है। उसके पिता स्व. मुलचंद के नाम पर डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक-7001148 में दो लाख रुपए एवं खाता क्रमांक-7001149 में दो लाख रुपए, कुल 4,00,000/- (चार लाख रुपए) की राशि जमा है। जिसे वे अपने पिता स्व. मुलचंद बोहत की मृत्यु पश्चात मय ब्याज के प्राप्त करना चाहते हैं।

(08) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत स्व. मुलचंद बोहत के नाम पर डाक घर मलाजखंड

के खाता क्रमांक—7001148, 7007749 की पासबुक क्रमशः प्रदर्श पी—1, पी—2 से परिलक्षित होता है कि बैंक खातों में कुल 4,00,000/— की राशि जमा है। स्व. फगनीबाई बोहत एवं स्व. मुलचंद बोहत के मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमशः प्रदर्श पी—3, पी—4 से भी परिलक्षित होता है कि स्व. फगनीबाई की दिनांक— 29.5.2009 को तथा स्व. मुलचंद की दिनांक 12.10.2010 को मृत्यु हो चुकी है। राशन कार्ड प्रदर्श पी—5 एवं न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट का वारसान प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—6, राकेश, मुकेश के भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र प्रदर्श पी—9, पी—10 से परिलक्षित होता है कि आवेदकगण स्व. मुलचंद बोहत की संतान एवं वारसान हैं और बैंक खाता में जमा राशि प्राप्त करने के उत्तराधिकारी हैं।

(09) आवेदकगण की अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों का खंडन अनावेदकगण के एकपक्षीय रहने से नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि मृतक स्व. मुलचंद बोहत के नाम पर डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक—7001148, 7007749 में कुल 4,00,000/— की राशि जमा है। साथ ही स्व. फगनीबाई की दिनांक—29.5.2009 को तथा स्व. मुलचंद की दिनांक 12.10.2010 को मृत्यु होने जाने से आवेदकगण उनके वैध वारसान होकर स्व. मुलचंद बोहत की डाकघर मलाजखंड में जमा राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है। फलतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार कर आवेदकगण को आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण द्वारा स्व. मुलचंद बोहत की मृत्यु उपरांत मुलचंद बोहत पिता गरीबदास के नाम से डाक घर मलाजखंड के खाता क्रमांक—7001148 में 2,00,000/—(दो लाख रुपए) एवं खाता क्रमांक—7001149 में 2,00,000/—(दो लाख रुपए), कुल 4,00,000/—(चार लाख रुपए) की राशि में से अपने-अपने हिस्से का $1/3$, $1/3$ अंश प्राप्त करने हेतु विधिवत स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर, निम्न शर्त के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जावे :—

(1.) आवेदकगण मृतक स्व. मुलचंद बोहत पिता गरीबदास बोहत के वैध उत्तराधिकारी हैं।

(2.) आवेदकगण मृतक स्व. मुलचंद बोहत की मृत्यु उपरांत डाकघर मलाजखंड के खाता क्रमांक—7001148 में 2,00,000/—(दो लाख रुपए) एवं खाता क्रमांक—7001149 में

2,00,000 /—(दो लाख रूपए), कुल 4,00,000 /—(चार लाख रूपए) की राशि में से अपने-अपने हिस्से का 1/3, 1/3 अंश प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)